



पूर्व मध्य रेल
(लेखा विभाग)

कार्यालय
प्रधान वित्त सलाहकार
हाजीपुर

कार्यालय आदेश सं०:- अराज०/33/2026

दिनांक: 30.04.2026

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्नलिखित लेखा लिपिक ग्रेड वेतन 1900/- (Level-2) को लेखाकार ग्रेड वेतन 2800/- (Level-5) तथा लेखाकार ग्रेड वेतन 2800/- (Level-5) को वरि० लेखाकार (Sr.Accountant) ग्रेड वेतन 4200/- (Level-6) के पद पर नीचे वर्णित तालिका अनुसार Proforma Promotion का लाभ दिया जाता है तथा वास्तविक लाभ तत्काल प्रभाव से पदोन्नत करते हुए पदोन्नति के उपरांत उनके वर्तमान कार्यालय में ही पदस्थापना के आदेश जारी किये जाते हैं:-

Sl. No.	Name (Shri/Smt.)	Desig.	D.O.A	Date of Proforma Promotion as Accountant (JAA)	Date of Proforma Promotion as Sr. Accountant (AA)	Monitory benefits
1	INDU KUMARI, Now JAA/TA/HJP HRMS ID- FWKQHH	Ex-AC	16.06.2014	21.06.2019 to 28.06.2022	29.06.2022 to Till now	Charge assumption date as Sr. Accountant
2	DHANANJAY KUMAR SINGH, Now SSO(A)/ENGA/HJP HRMS ID- YOIOPS	Ex-JAA	03.05.2018	N/A	03.05.2021 to 28.10.2021	N/A
3	PRAVIN KUMAR, Now JAA/DNR HRMS ID- GRZHWT	Ex-AC	27.09.2016	30.06.2021 to 15.07.2024	16.07.2024 to Till now	Charge assumption date as Sr. Accountant
4	AJAY KUMAR, Now JAA/DNR HRMS ID- KTRSTO	Ex-AC	02.09.2016	Already promoted as Accountant on 04.11.2025 under one time relaxation RBE No. 58/2025	N/A	N/A

नोट:-

1. यह पदोन्नति उस तिथि से प्रभावी होगी जिस तिथि को कर्मचारी वरि० लेखाकार के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे और उसी तिथि से उच्च कार्यवाहक वेतन के हकदार होंगे।
2. पदोन्नत कर्मचारी वेतन निर्धारण हेतु कार्यालय आदेश जारी होने की तिथि से एक माह के अन्दर अपना विकल्प प्रस्तुत कर सकते हैं। विकल्प प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में नियम 1313 (FR-22) IREC-Vol-II के अनुसार वेतन का निर्धारण किया जायेगा।
3. Pay Protection का लाभ प्राप्त कर रहे क्रमचारियों के वेतन का निर्धारण प्रचलित नियमनुसार किया जाय।
4. पदोन्नति का लाभ प्रदान करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय की उक्त कर्मचारी के विरुद्ध निलंबन/डी.ए.आर. का केस न चल रहा हो।
5. यह पदोन्नति आदेश माननीय सुप्रीम कोर्ट में लंबित SLP(C)/30621/2011 एवं SLP(C)/31288/2017 में पारित किये जाने वाले आदेश के आलोक में परिवर्तनीय होगा।

[Authority: Note # 241 of file no. ECR-HQ0ACCT (ADMN)/88/2020 (Computer No. 13279)]

(राजीव रंजन)

सविस./प्रशा/हाजीपुर
कृते प्रधान वित्त सलाहकार

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाही हेतु प्रेषित ।

1. सचिव/प्रधान वित्त सलाहकार/हाजीपुर सादर सूचनार्थ ।
2. उप विसमुलेधि(सामान्य)/ हाजीपुर
3. उप विसमुलेधि /यातायात/हाजीपुर ।
4. व.म.वि.प्र./दानापुर
5. ईडीपीएम/हाजीपुर ।
6. सविस/प्रशा./स्थापना(अराज.)/हाजीपुर ।
7. सचिव/ईसिआरईयू/एससी-एसटी एवं ओबीसी असोसिएशन ।
8. सम्बंधित कर्मचारी ।
9. कार्यालय आदेश पंजिका/वेब पोर्टल ।


30/04/26

कृते प्रधान वित्त सलाहकार

